कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :– 5362 / 46एम0–मु0क्षे0 / 13 दिनांक :– 16/9/14

सेवा में,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

विषय :– मैसर्स इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद को बिजनौर–नुरपूर–छजलैट मार्ग (एस.एच.–76) के कि0मी0–18 (चैनेज–17.127) में ग्राम छजुपुरा सैद, तहसील बिजनौर जिला बिजनौर के खसरा सं0–217 क, 218 में पैट्रोल पम्प / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक–481 / बीस–आयुध सहा–14 दिनांक 26–04–2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक–2765 / 1काम(बी0)–रा0वृत / 13 दिनांक 05–09–14 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर का पत्रांक–1850 / आर.एस.एल. दिनांक 23–08–14 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद बिजनौर में बिजनौर–नुरपूर–छजलैट मार्ग (एस.एच.–76) के कि0मी0–18 (चैनेज–17.127) में ग्राम छजुपुरा सैद, तहसील बिजनौर जिला बिजनौर के खसरा सं0–217 क, 218 में पैट्रोल पम्प / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

1– प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2– निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3– भू–स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4– प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका / टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5– प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
6– भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
7– प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
8– उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :– 1–साईट प्लान–1
2–अधी0अभि0, रा0वृत का पत्र सं0–2765 / 1काम(बी0)–रा0वृत / 14 दिनांक 05–09–14 एवं अधि0अभि0, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, अमरोहा का पत्र सं0–1850 / आर.एस.एल. दिनांक 23–08–14 (छाया प्रति संलग्न)

16.9.14

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

16-9-14

प्रतिलिपि :– 1–अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 05–09–14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

G:\P.W.D\PP\Petrol Pamp.doc